न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक /पीबीआर/11-12

(102)

चंदनसिंह उर्फ गट्टू आत्मज श्री मुल्ला
निवासी – ग्राम सुल्तानपुर
तहसील बरेली जिला रायसेन (म.प्र.)

R 1164 II/12

................आवेदक

विरूद्ध

1. रघुराज सिंह आत्मज इमरत लाल
   निवासी – ग्राम घीकरी तहसील बुदनी
   जिला सीहोर
2. श्रीमती सुधाबाई पत्नी श्री सुरेश कुमार तिवारी
   निवासी – ग्राम सुल्तानपुर
   तहसील बरेली जिला रायसेन
3. वीरेश शरण आत्मज जगदीश सिंह
4. शिवेन्द्र सिंह आत्मज दशरथ सिंह
   निवासी – ग्राम सुल्तानपुर तहसील बरेली जिला रायसेन

...........अनावेदकगण

श्री ... द्वारा अधिवक्ता आज दि. 28/3/12 को प्रस्तुत
28/3/12
अधीक्षक
कार्यालय ...

क्रमांक 1054
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक .... को प्राप्त
... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 6.2.2012 अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 22/अपील/09–10 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल पक्षकारगण वीरेश शरण व अन्य विरूद्ध रघुराज सिंह व अन्य

आवेदक की ओर से निवेदन है कि:-

यह कि प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक ग्राम सुल्तानपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 157/1 क्षेत्रफल 2.80 एकड़ का भूमिस्वामी तथा आधिपत्यधारी था। यह भूमि मूल रूप से अनावेदक क्रमांक एक की भूमि थी जिसे उसके द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 168 के प्रावधानों के उल्लंघन में पट्टे पर प्रदान करने से आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार अर्जित हो गए थे। जिसके तहत तहसील न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया गया था। जिससे आवेदक उक्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी हो गया था। आवेदक द्वारा उक्त भूमि पश्चातवर्ती स्थिति में अनावेदक क्रमांक तीन लगायत चार को पंजीयत विक्रयपत्र के माध्यम से अंतरित कर दी थी जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में अनावेदक क्रमांक तीन लगायत चार का नाम इंद्राज हो गया। इस भूमि के अंशभाग को अनावेदक क्रमांक तीन लगायत चार द्वारा अनावेदक क्रमांक दो को भी अंतरित किया था इस अंतरण के आधार पर पंजी क्रमांक तीन में पारित आदेश दिनांक 25.8.1998 द्वारा अनावेदक क्रमांक दो के पक्ष में खसरा क्रमांक 157 की 0.70 एकड़ सहित अनावेदक क्रमांक तीन लगायत चार का नामांतरण 2.80 एकड़ पर स्वीकृत किया गया। इसी नामांतरण पंजी को अनावेदक क्रमांक एक द्वारा प्रथम अपील के माध्यम से माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष चुनौती दी थी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 738–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–2–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 22/अपील/2009–10.

1– वीरेशरण सिंह आ. जगदीश सिंह राजपूत

2– शिवेन्द्र सिंह आत्मज दशरथ सिंह राजपूत

3– श्रीमती सुधा पत्नी सुरेश कुमार तिवारी

निवासीगण सुल्तान नगर

तहसील बाड़ी जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– रघुराज सिंह आ. इमरत लाल राजपूत

निवासी ग्राम ठीकरी

तहसील बुधनी जिला सीहोर

2– शिवम आ. चंदन सिंह संरक्षक चंदन सिंह

उर्फ गुडडू सिंह पुत्र मुल्ला सिंह

निवासी सुल्तान नगर

तहसील बरेली जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 28/3/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सुल्तान नगर स्थित भूमि खाता कमांक 157 रकबा 10.08 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेखों में अनावेदक कमांक 1 एवं उसके भाई–भतीजों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जिसमें से 2.80 एकड़ भूमि पर आवेदक कमांक 1 व 2 द्वारा नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमोंक 3 पर पारित आदेश दिनांक 25–8–98 से अपना नामांतरण करा लिया गया । तहसील न्यायालय के नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बरेली के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–7–2009 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सभी हितधारी पक्षकारों को सचूना दी जाकर मूल दस्तावेजों का अवलोकन एवं परीक्षण कर विधिसंगत आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक कमांक 1 व 2 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–2–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण इस प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण द्वारा दिनांक 7–7–97 को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की जाकर उनका नामांतरण भी हो गया है, और उनके प्रश्नाधीन भूमि पर निरंतर कृषि कार्य किया जा रहा है ।

(2) अपर आयुक्त के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में दो पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई थीं, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को दोनों अपीलों में सुनवाई कर आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर एक अपील प्रकरण में सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है, जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है ।

(4) अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, और पंजीकृत विकय पत्र निरस्त करने का अधिकार व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है, राजस्व न्यायालयों को नहीं ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का अभी बटवारा नहीं हुआ है, और बिना बटवारा हुए किसी एक खातेदार द्वारा भूमि का विकय नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि प्रकरण में आवेदक कमांक 1 व 2 की ओर से कोई पंजीकृत विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही भूमि किसके द्वारा विकय की गई है, इसका कोई उल्लेख नामांतरण पंजी में किया गया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना भूमिस्वामियों को, जो कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं, को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, जबकि हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप आवश्यक है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की ओर से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निष्पादित विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण द्वारा कय की गई है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाइ का अवसर भी नहीं दिया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर, मूल दस्तावेजों का अवलोकन व परीक्षण कर विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और अनुविभागीय

अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 1164–दो/2014 (चन्दनसिंह उर्फ गट्टू विरूद्ध रघुराज सिंह तथा तीन अन्य) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर